न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
11/अपील/2016	15.02.2016	12.03.2020

मीरा पुत्री छोटिया पत्नी श्री हेमराज जाति बैरवा निवासी ग्राम कालानला तहसील नैनवां हाल निवासी ग्राम रेण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
–अपीलांट

– बनाम –

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवां जिला बून्दी।

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम,
विरूद्व नामान्तकरण सं. 338 दिनांक 15.09.1998
ग्राम कालानला तहसील नैनवां।

उपस्थित–
अपीलांट की ओर से – श्री महावीर कटारिया, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्टस की ओर से – पेरोकार सरकार।

–: निर्णय :–

यह अपील तहसीलदार, नैनवां द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 338 दिनांक 15.09.1998 ग्राम कालानला तहसील नैनवां से अप्रसन्न होकर अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम इस न्यायालय में पेश की गयी है। अपीलाधीन नामान्तकरण छोटिया वल्द कालू की मृत्यु के उपरान्त उसके पुत्र राजू वल्द छोटिया के नाम तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि खाता सं. 116 की कृषि भूमि ख. सं. 732/62 रकबा 06 बीघा वाके ग्राम कालानला तहसील नैनवां में स्थित है। उक्त कृषि भूमि खातेदार स्व. छोटिया पुत्र श्री कालू जाति बैरवा निवासी

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

कालानला तहसील नैनवां थे। स्व. छोटिया के एक पुत्र राजू एवं एक पुत्री मीरा मौजूद है। छोटिया की बेवा भी फोत हो चुकी है। विवादित नामा. से छोटिया के वारिस राजू के नाम से उक्त भूमि का नामा. तस्दीक कर दिया गया है, जबकि स्व. छोटिया की वैध पुत्री मीरा भी मौजूद है। तहसीलदार, नैनवां द्वारा विवादित नामा. वारिसान की बिना जांच के ही तस्दीक कर दिया गया है जो वस्तुस्थिति एवं विधान के सर्वथा विपरित है। विवादित नामा. में पुत्र राजू के साथ पुत्री मीरा के नाम का भी अंकन किया जाना चाहिये था। तहसीलदार द्वारा विवादित नामा. सं. 338 दिनांक 15.'09.1998 को खारिज किया जाकर वैध उत्तराधिकारियों के नाम कृषि भूमि ख. सं. 732/62 रकबा 06 बीघा का नामा. तस्दीक किये जाने के आदेश फरमावे।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि राजस्व अभिलेख में छोटिया की मृत्यु के उपरान्त उसके पुत्र राजू के नाम नामा. तस्दीक किया गया है। छोटिया के एक पुत्री मीरा का भी होना जाहिर हुआ है। अतः सम्पूर्ण वारिसो की जांच किया जाना आवश्यक है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाधीन नामा. सं. 338 दिनांक 15.09.1988 खातेदार छोटिया के फौत होने से अधीनस्थ न्यायालय ने उसके पुत्र राजू के नाम तस्दीक किया गया है। जबकि दोराने सुनवाई स्व. छोटिया के एक पुत्री मीरा का होना भी जाहिर हुआ है। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा सम्पूर्ण वैधानिक वारिसो की जांच किये बिना ही विवादित नामा. तस्दीक कर दिया गया है, जो पूर्णतया अवैधानिक है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामा. सं. 338 दिनांक 15.09.1998 ग्राम कालानला तहसील नैनवां निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय, तहसीलदार, नैनवां को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण में पक्षकारान की सुनवाई करते हुये स्व. छोटिया के वैध उत्तराधिकारियों की जांच कर पुनः नियमानुसार आदेश पारित करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 12.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.3.20

(राजेश जोशी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)